2. मोहनराम पुत्र श्री पाबुराम
3. हीराराम पुत्र श्री पाबुराम
जाति मेघवाल, निवासी चौपासनी,
तहसील व जिला जोधपुर।

—::बनाम::—

अप्रार्थी:— श्रीमान् तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित —

प्रार्थीगण की ओर से — अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:— 16/2/2021

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— ग्राम तिंवरी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 656/6 रकबा 5.3418 हैक्टेयर यानि 33 बीघा व खसरा नम्बर 656/8 रकबा 1.3193 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 03 बिस्वा भूमि आई हुई है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की खरीद सुदा भूमि है जिसमें खरीद के बाद से लगातार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारा नलकूप खुदवाया हुआ है, ढालिये बने हुए है तथा चारों तरफ पट्टिया रोपी हुई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम करते वक्त भूलवश मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई। जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है वहां पर उक्त खसरों की

सहायक कलेक्टर, ओसियां

तरमीम नहीं करके अन्य स्थान पर तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के पूर्वी तरफ एक रास्ता चलता है तथा रास्ते के आगे खसरा नम्बर 692/1 की भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की ही भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 692/1 के समानान्तर उपरोक्त खसरा नम्बर 656/6 व 656/8 स्थित है। वर्तमान में सेग्रीगेशन के तहत प्रार्थी के कब्जा काश्त वाली भूमि के स्थान पर अन्य बट्टा नम्बर 656/11, 656/3, 656/9 दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि बाबत् राजस्व नक्शे में गलत तरमीम हो रखी है। इसलिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्ध की जानी न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि बाबत् राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्ध दर्ज की जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 656/6 रकबा 5.3418 हैक्टेयर यानि 33 बीघा व खसरा नम्बर 656/8 रकबा 1.3193 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी व अन्य बट्टा नम्बर 656/11, 656/3, 656/9 के बाबत् पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त की जाकर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नये सिरे से तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी तिंवरी से मौका रिपोर्ट मंगवाकर मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 10.02.2021 को जवाब प्रस्तुत किया गया पटवारी की मौका रिपोर्ट में उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति जरिये नजरी नक्शे दर्शाई गई। दिनांक 09.02.2021 की मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे में वर्णित बिन्दू संख्या ABCD की खसरा नम्बर 656/6 एवं CDEF की खसरा नम्बर 656/8 की तरमीम राजस्व नक्शे में मौके अनुसार की जानी उचित है। खसरा नम्बर 656/1 जो कि मुख्य सड़क है, की तरमीम भी राजस्व नक्शे में मौके अनुसार नहीं है। जवाब प्रार्थना पत्र व मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के मौके व ऑनलाईन तरमीम में अन्तर है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 656/6 रकबा 5.3418 हैक्टेयर यानि 33 बीघा व खसरा नम्बर 656/8 रकबा 1.3193 हैक्टेयर यानि 8 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी व अन्य बट्टा नम्बर 656/11, 656/3, 656/9 व खसरा नम्बर 656/1 जो मुख्य सड़क है, के बाबत् ऑनलाईन की गई तरमीम निरस्त की जाकर अप्रार्थी के जवाब के साथ संलग्न मौका फर्द दिनांक 09.02.2021 व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नये सिरे से तरमीम किये का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 16/2/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner